प्रेस विज्ञप्ति
17.01.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), दिल्ली ज़ोनल कार्यालय ने पूर्ववर्ती **भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड [बीपीएसएल]** के बैंक धोखाधड़ी मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत 486 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य की अचल संपत्ति को **अनंतिम** रूप से कुर्क किया है। अनंतिम रूप से कुर्क की गई संपत्ति अमृता शेरगिल मार्ग [1 एकड़/ 4840 वर्ग गज], नई दिल्ली में एक आवासीय घर के रूप में है। उक्त संपत्ति का स्वामित्व तत्कालीन बीपीएसएल की निदेशक श्रीमती आरती सिंघल के पास था। श्रीमती आरती सिंघल तत्कालीन बीपीएसएल के मुख्य प्रमोटर और निदेशक संजय सिंघल की पत्नी भी हैं।

ईडी ने सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। एफआईआर में पीएमएलए के अनुसूचित अपराध शामिल थे जिसमें आरोप लगाया गया था कि तत्कालीन बीपीएसएल के निदेशकों ने बैंकों से 47,204 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की।

ईडी की जांच से पता चला है कि बीपीएसएल और उसके प्रमोटरों ने बैंक के फंड को शेयरों और संपत्तियों के रूप में निजी निवेश में बदल दिया। फर्जी खर्च/खरीदारी/पूंजीगत संपत्ति दिखाने के लिए खातों की किताबों में हेराफेरी की गई और इस तरह बैंक के फंड को नकदी के रूप में निकाल लिया गया। बिक्री से भी नकदी पैदा की गई और उसका इस्तेमाल परिवार के सदस्यों के नाम पर संपत्ति हासिल करने में किया गया। नकदी को विभिन्न लाभकारी स्वामित्व वाली बेनामी कंपनियों [कर्मचारियों/डमी निदेशकों के माध्यम से आयोजित] की किताबों में लाया गया और उसका इस्तेमाल शेयरों और अचल संपत्तियों के रूप में निवेश के लिए किया गया। बैंक के फंड को निजी संपत्तियों के अधिग्रहण में खर्च किया गया और इस तरह से रखा गया कि बैंक ऋण राशि वसूल न कर सकें।

ईडी ने इससे पहले दिनांक 10.10.2019 से विभिन्न अनंतिम कुर्की आदेशों के माध्यम से 4452 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियां [भूमि, भवन, मशीनरी, अचल संपत्तियां, विमान आदि] कुर्क की थीं। मुख्य प्रमोटर संजय सिंघल को ईडी ने 22-11-2019 को गिरफ्तार किया था और उनके व अन्य प्रमुख कर्मचारियों के खिलाफ 17-01-2020 को अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की गई थी। पीसी का संज्ञान उसी तारीख को लिया गया है और मुकदमा लंबित है।

ऋणदाता बैंकों ने 47,204 करोड़ रुपये की बकाया ऋण राशि वसूलने के लिए दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 [आईबीसी] के तहत कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया [सीआईआरपी] शुरू की थी। जेएसडब्ल्यू लगभग 19,350 करोड़ रुपये [लगभग] की राशि के लिए सफल समाधान आवेदक [एसआरए] था। ईडी ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक हलफनामा दायर किया जिसमें पीएमएलए की धारा 8(8) के द्वितीय प्रावधान (परीक्षण लंबित रहने तक पुनर्स्थापन) के तहत पीएमएलए संपत्ति बहाली नियमों के नियम 3ए के साथ पठित जेएसडब्ल्यू को 4025 करोड़ रुपये [सीआईआरपी के तहत कवर] की कुर्क संपत्तियों की बहाली के लिए प्रार्थना की गई। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ईडी द्वारा दायर हलफनामे को स्वीकार कर लिया और दिनांक 11-12-2024 के आदेश के माध्यम से जेएसडब्ल्यू को 4025 करोड़ रुपये **[भूमि, संयंत्र और मशीनरी से युक्त]** की संपत्ति की बहाली का आदेश दिया।

बैंकों को 19,350 करोड़ रुपये की राशि वसूलने के बाद भी लगभग 28,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। तदनुसार, ईडी ने बैंक धोखाधड़ी के माध्यम से पूर्व बीपीएसएल प्रमोटरों द्वारा नष्ट की गई संपत्तियों की वसूली के लिए जांच जारी रखी। अमृता शेरगिल मार्ग, नई दिल्ली में घर की संपत्ति की वर्तमान अनंतिम कुर्की के साथ, इस मामले में की गई कुर्की का कुल मूल्य 4938 करोड़ रुपये है, जिसमें से 4025 करोड़ रुपये पीएमएलए के प्रावधानों के तहत वापस किए गए हैं। ईडी पीएमएलए के प्रावधानों के तहत पीड़ित बैंकों को शेष संपत्ति वापस करने के लिए प्रतिबद्ध है।

आगे की जांच जारी है।